

8/8/2025

पत्रा. फेडा हुई। वकील पार्थी डी.। बहस
 पत्रा-पत्र लुनी गई। तंत्र नंबर 514
 पत्रांक 722 दिनांक 6/8/2025 द्वारा
 शिखरि गरी रिपोर्ट का अवलोकन
 किया। मे पापा पार्थी वकील की ओर
 ले कुदना है कि खाना लंघ्या 61 के
 आ. ख. नं. 223 में पार्थी का नाम
 दिनेश विहारी के स्थान पर कृष्ण विहारी
 शर्मा पुत्र रामलक्ष्म शर्मा लिखा जावे।
 हमने तंत्र रिपोर्ट का अवलोकन किया तो
 पापा कि अमावसी खाना लंघ्या 61 में
 दिनेश विहारी पुत्र रामलक्ष्म के स्थान पर
 कृष्ण विहारी शर्मा पुत्र रामलक्ष्म शुद्ध
 लिखा जाना उचित प्रतीत होता है।
 अतः पार्थी का पत्रा-पत्र खींचा
 किया जाकर दिनेश विहारी के स्थान पर
 कृष्ण विहारी पुत्र रामलक्ष्म शुद्ध लिखा
 जाता है पत्रावली कुसल शुभा होर दाखिल
 करण है।

